CRNo: 42 13-00[illegible]

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तिथि Date of which Application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूची की तिथि Date of position notice on Notice Board	नकल वापस दिये जाने की तिथि Date of delivery of copy	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of Official delivering copy.
22-3-13	25-03-13	25-03-13	[signature] 25-3-13

नकल आदेश दिनांक 21.03.2013, पारित द्वारा - उपजिलाधिकारी टाण्डा, बमुकदमा माँ तिलेसरा देवी मन्दु. विद्यालय भसडा द्वारा प्रबन्धक - बनाम - राज्य उ०प्र० आदि, मु० नं० - 22, अन्तर्गत धारा - 143 ज़०वि०अधि० दा०दि० 21-3-13 न्यायालय उपजिलाधिकारी टाण्डा - अम्बेडकर नगर - मौजा - मोहिउद्दीनपुर, परगना व तहसील टाण्डा।

आदेश दिनांक 21-3-2013 की प्रमाणित छायाप्रति [illegible]

न्यांयालय उप जिलाधिकारी टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।

माँ तिलेसरा देवी महाविद्यालय, भसड़ा द्वारा प्रबंधक बनाम राज्य उ0प्र0आदि

मुकदमा नं0- 21
अन्तर्गत धारा- 143 ज0वि0अधि0
मौजा भसड़ा
परगना व तहसील टाण्डा
जनपद अम्बेडकरनगर।

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्रीमती तारा देवी (प्रबन्धक), पत्नी रामपूजन निवासी ग्राम भसड़ा परगना व तहसील टाण्डा जिला अम्बेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.02.2013 बावत् गाटा संख्या 277 रकबा 0.814 हे0 स्थित ग्राम भसड़ा परगना व तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर अकृषिक दर्ज कराये जाने विषयक पर योजित किया गया। जिसमें वादिनी द्वारा कहा गया है कि सम्बंधित भूमि ग्राम भसड़ा परगना व तहसील टाण्डा में शिक्षण प्रशिक्षण हेतु संस्थापित माँ तिलेसरा देवी महाविद्यालय के नाम जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय की गयी है। भूमि गाटा संख्या उपरोक्त में सम्पूर्ण रकबे में विद्यालय भवन चहारदीवारी व 40×25 क्षेत्रफल के चार कमरे तथा सामने पोख्ता बरामदा व बच्चों के खेलने का मैदान के रूप में प्रयुक्त है। सम्पूर्ण सम्बंधित भूमि विद्यालय प्रयोग में आवासीय रूप में परिवर्तित हो गयी है, जिसमें कत्तई कृषि कार्य सम्भव नही है व सम्पूर्ण भूमि कृषि योग्य नहीं रह गयी है तथा अन्त में गाटा संख्या 277 रकबा 0.814 हे0 मौजा भसड़ा को अकृषिक भूमि अंकित किये जाने की याचना किया है। प्रस्तुत वाद में तहसीलदार टाण्डा से जाँच कराकर आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार टाण्डा द्वारा दिनांक 28.02.2013 को राजस्व निरीक्षक की आख्या अग्रसारित करते हुए अवगत कराया गया है कि गाटा संख्या 277 रकबा 0.814 हे0 स्थित ग्राम भसड़ा के खाता संख्या 335 पर माँ तिलेसरा देवी महाविद्यालय के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। गाटा संख्या उक्त में महाविद्यालय का भवन व खेलकूद का मैदान स्थित है, जिसमें मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार गाटा संख्या 277 रकबा 0.0814 हे0 पूर्णतया अकृषिक हो गया है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों तथा तहसीलदार टाण्डा की आख्या का अवलोकन किया गया। तहसील आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या गाटा संख्या 277 रकबा 0.814 हे0 स्थित मौजा भसड़ा परगना व तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर भूमि कृषि कार्य के इत्तर प्रयोग हो रही है तथा गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य के इत्तर घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि गाटा संख्या 277 रकबा 0.814 हे0 स्थित मौजा भसड़ा परगना व तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर वादिनी के नाम अंकित भूमि अकृषिक प्राख्यापित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 21.03.13

(मनोज)
उप जिलाधिकारी,
टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

यह आदेश मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक- 21.03.13

(मनोज)
उप जिलाधिकारी,
टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

प्रमाणित प्रतिलिपि
मिलान किया 25.3.13
शब्द संख्या - 450

True Copy
25-3-13
Tender to S.D.M. Tanda